

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र.

क्रि.नं - 1396 - III-16

रामलता देवी विधवा
महेशचंद्र खण्डेलवाल उम्र
60 वर्ष निवासी छावनी
आगर मालवा हाल मुकाम
201 सागर गार्डन चुना
भट्टी कोलार रोड़
भोपाल X

.....निगरानीकर्ता

श्री टी. टी. गुप्ता (एड.)
द्वारा आज दि-03/05/16 को
प्रस्तुत

35/16
रामलता देवी विधवा
खण्डेलवाल उम्र 60 वर्ष
निवासी छावनी आगर मालवा
हाल मुकाम 201 सागर गार्डन
चुना भट्टी कोलार रोड़ भोपाल

टी. टी. गुप्ता
35/16

विरुद्ध

1. विवेक पिता दिनेश
खण्डेलवाल निवासी सदर
बाजार छावनी आगर
मालवा जिला आगर
2. रूकमणी देवी पत्नि दिनेश
खण्डेलवाल निवासी सदर
बाजार छावनी आगर
मालवा जिला आगर
3. दिनेश कुमार पिता रामकृष्ण
खण्डेलवाल निवासी सदर
बाजार छावनी आगर
मालवा जिला आगर

.....प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगर द्वारा प्र.क्र. 45/अपील/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.04.16 के विरुद्ध (अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के समस्त परंतुकों में)

माननीय महोदय,


यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगर की न्यायालय में प्रतिनिगरानीकर्ता विवेक एवं रूकमणी ने एक अपील माननीय तहसीलदार महोदय आगर के अंतिम आदेश दिनांक 08.06.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी। जिसमें निगरानीकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर अपील न्यायालय में

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1396-तीन/16

जिला - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री टी.डी. गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>